


1395 Sale 2,50,000/- Gundera p. 400/- p. 20/- 10000/- 393 5000RS.



wide x 40.7 x 67.5 mm  
 Case no. 481 for 05-06  
 dt. 14/12/06  
 23

2500-10  
 90-10  
 2.50  
 p. fee 0.94  
 2593.44  
 250-00  
 2843.44

विपरीत की वी रता उराने 1,60,000/- एक लाख सौ  
 हजार ०.१० हजार ०० पचास  
 आश्रीग वसुधाल पाकर काली ०१०१०१०  
 की शीतलता वरुण विना ०१०१०१०  
 उराने घटी कालाक ०१०१०१०  
 ३/६/०६

नाम मो किर - मो० बियारी देवी पति स्व० हड़ताल उरावे किर रता  
 उरावे पिता स्व० बंशु उरावे जात उरावे पेशा गृहस्थी  
 साकिन घटर थाना गुमला जिला गुमला  
 श. प. न.

नाम मो किर - देवपाल लोहरा पिता मना लोहरा जात लोहरा पेशा  
 अलेह गृहस्थी साकिन कालीकी शीस्त्रीनगर थाना गुमला  
 जिला गुमला भारतीय नागरिक ।  
 श. - प. - न.

कितीम वसिका - दस्तावेज बिक्री बिला कलामी हंपसे के लिये जिसका  
 सलाना मालगुजारी - मो० 20 पैसा अलगवे शेष ।  
 तायदाद रुपैया - जरतमन मो० 1,60,000/- एक लाख साठ हजार रुपैया  
 जिसका आधा मो० 80,000/- अस्मी हजार रुपैया  
 न्यूनतम बाजार मूल्य 2,25,000/- दो लाख पच्चीस  
 हजार रुपैया ।

न्यूनतम बाजार मूल्य 2,50,000/- रु०

देवपाल लोहरा



2.

जायदाद - मवाजी 0.10 ए0 दस डीसमील जमीन टाँड अन्दर खाता नं0 34 अनुमति वाद सं0 481/05-06 आदेश तिथि 14.12.05 वाके मौजा घंटर थाना गुमला थाना नं0 47 वार्ड नं0 9 जिला गुमला जिलेके मुतअलेके कलकट्टी वी डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला वी सब डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी झारखण्ड सरकार बजरीय सर्किल ऑफिसर गुमला अंचल के वाके है।

तपसील जमीन आवासीय है। करम टोली दो सिमाना में स्थित है।

खाता नं0	प्लॉट नं0	नाम जमीन	दर्जा	रकबा
34	953	टाँड-	II	0.10 ए0

चौतीस, नौ सौ तिरपन

उत्तर - टाँड फिलमोन मिंज, दक्षिण - टाँड दिनदयाल भगत

पूरब - दोन बुधवा उरावें पश्चिम - मोकिर द्वारा दिया गया 11 कड़ी


कच्चा रास्ता

कुल रकबा दस डीसमील 0.10 ए0

आगे मन मोकिर का खतियानी जमीन है वो शांति पूर्वक दखलकार चले आते है मन मोकिर मो0 1,60,000/- एक लाख साठ हजार रूपैया नगद वास्ते मकान बनाने हेतु मोकिर अलेह से लिया वों अपने तहद वो तसरुफ में दर लाया। मन मोकिर वो मोकिर अलेह आ दिवासी समुदाय के अर्न्तगत एक ही थाना वो जिला के निवासी है इसलिये मन मोकिर ने जमीन बिक्री हेतु न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के कार्यालय में आवेदन दिया जिसका अनुमति वाद सं0 481/05-06 आदेश दिनांक 14.12.05 को हुआ।

श्री. विमलेश चौरा  
 वी. वी. बंसल  
 पारचान पिनोश उराँव पितारुब कुचला उराँव  
 गामि चैरर. बाना गुमला जिला गुमला एकाकर उषाद  
 3/6/06  
 3.6.06

देवपाल लोहण



3.  
 मन मोकिर स्पैया को जरसमन मान कर वाजिब वो अदल जरसमन के बदला में  
 उपर लिखा हुआ जमीन मुन्दर्जे वाला को आज के रोज साथ मोकिर अलेह के बेचा  
 वो बिक्री बयला कलामी किया चाहिए की मोकिर अलेह मौसुफ मय वारीसान सय  
 बिक्री पर ब हसियत खरीददार होकर वो रह कर मुनासिब इन्तजाम मकान  
 बनावे वो जिस तरह चाहे अपने ब्यवहार में देख लावे वो अपने नाम से झारखण्ड  
 सरकार के सिरिस्ते में दाखिल खारिज करु कर मासुगुजारी सरकार को वसुल कर  
 खास रसीद लिया करे अब मन मोकिर वो उनके वारीसान को कोई वास्ता  
 सरोकार वो दावी सय बिक्री जमीन पर खाकी नहीं रहा वो न आइन्दे होगा  
 जिस किस्तीम का हक वो हकुक मन मोकिर वो उनके वारीसान का आज तक है या  
 आइन्दे होता तो सब बिलकुल चर्जीन सहबेला फरक मोकिर अलेह वो उनके वारीसान  
 का हुआ वो होगा इसलिये ब युशी वो खाहीश दस्तावेज बिक्री बैला कलामी लिख  
 दिया की समय पर काम आवे आज तारीख 1.6.2006.

यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खतियान  
 के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक  
 या असैनिक ः ही किया गया है । यह भी घोषित करते हैं कि प्रासांगिक भूमि  
 भूदान, भूहदबंदी, लीज, भु- अर्जन तथा भुबन्दोबस्ती की नहीं है यह भूमि खनन  
 एवं वन सीमा से बाहर है । यह भी घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ,  
 मन्दिर, गिरजा, मस्जिद सरना तथा गुह्दारा का नहीं है वो पुर्व में बिक्री नहीं  
 किया गया है ।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including names like 'श्री. जयश्री देवी' and dates like '25/11/06'.

देवपाल लोहटा



4.

मैं लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

श्री. किशोरी देवी कल्याणचंद्र शर्मा  
3/6/86

लक्ष्मी देवी  
दीपिका  
मन्मथ  
कनिष्क  
बेकनार  
श्री. किशोरी देवी कल्याणचंद्र  
3/6/86  
कनिष्क  
श्री. किशोरी देवी कल्याणचंद्र  
3/6/86

श्री. किशोरी देवी कल्याणचंद्र  
3/6/86

मैं लेख्यधारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीद की जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।


देवपाल लोहरा  
3/6/86

श्री. किशोरी देवी कल्याणचंद्र  
3/6/86  
कनिष्क  
श्री. किशोरी देवी कल्याणचंद्र  
3/6/86

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के बाये हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान दस्तावेज में लिया गया है जिनका फोटो दस्तावेज में चिपकाया गया है।

मधुसूदन शर्मा  
दा. 3.6.2006

देवपाल लोहरा



5.

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में कुल 5 पन्ना है  
वो मूल दस्तावेज द्वितीयक प्रति की हु बहु वो सच्ची प्रतिलिपि है ।  
वाजे रहे कि जमीन का नक्शा दस्तावेज में संलग्न है ।  
वो पेज नं० 6 कमी वो सादा मुद्राक है ।

टंकक पियुस मिंज कोर्ट परिसर गुमला झाफ्ट कर्ता

श्री मय्युस्त्रन प्रसाद जी 2-6-2006

के झाफ्ट पर पदटा बिक्री बैला कलामी टंकित किया ।

मय्युस्त्रन प्रसाद जी 2-6-2006

ना 2-6-2006

झाफ्ट कर्ता काहो /-

टंकक

श्री. विमल - श्री. विमल प्रसाद  
2/6/06 3:44:31 PM  
2006/06/06 3:44:31 PM

विमल

प्रमाणित

देवपाल लोहप

